

**न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता , बुण्डू (राँची)**  
**RM वाद संख्या-56 / 12-13**  
**छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(b)i**

12/4/13

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता -

गौरा महतो पिता-स्व० मतिया महतो  
ग्राम-बलुवाडीह पोस्ट-जामुदाग थाना-सोनाहातु  
जिला-राँची।

क्रेता का नाम एवं पता-

श्री अनन्त महतो पति-श्री सुन्दरा महतो  
ग्राम-बलुवाडीह पोस्ट-जामुदाग / जाड़ेया  
थाना-सोनाहातु जिला-राँची।

विद्वान अधिवक्ता का नाम-

श्री गौरी नाथ सिन्हा।

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-12/09/12 को क्रेता श्री अनन्त महतो पति-श्री सुन्दरा महतो के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

<u>मौजा</u>	<u>थाना नं०</u>	<u>खाता सं०</u>	<u>प्लॉट सं०</u>	<u>रकवा</u>
बलुवाडीह	36	18	753	0.16 ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु के पत्रांक-220(II) दिनांक-08/03/13 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। ( अभिलेख के साथ संलग्न ) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (क) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम जीतुवा महतो है।
- (ख) उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 3.05 एकड़ भूमि शेष बच जाती है।
- (ग) आवेदक को मकान बनाने एवं पुत्र के ईलाज हेतु पैसों की आवश्यकता है, इसलिए भूमि की बिक्री करना चाहते हैं।
- (घ) दोनों क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति(कुर्मी) के सदस्य है, एवं एक ही थाना क्षेत्र सोनाहातु के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(b)1 के तहत विक्रेता गौरा महतो पिता-स्व0 मतिया महतो ग्राम-बलुवाडीह पोस्ट-जामुदाग थाना-सोनाहातु जिला-राँची को क्रेता श्री अनन्त महतो पति-श्री सुन्दरा महतो ग्राम-बलुवाडीह पोस्ट-जामुदाग/जाड़ेया थाना-सोनाहातु जिला-राँची के हाथों प्रस्तावित भूमि के विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-13/09/12 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।


पुनः दिनांक-05/04/13 को विक्रेता एवं क्रेता का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। दिए गए बयान से स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री विक्रेता के द्वारा मकान बनाने एवं पुत्र के ईलाज हेतु किया जाना है।


अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु की अनुशंसा एवं विक्रेता के बयान के आलोक में क्रेता श्री अनन्त महतो पति-श्री सुन्दरा महतो ग्राम-बलुवाडीह पोस्ट-जामुदाग/जाड़ेया थाना-सोनाहातु जिला-राँची द्वारा समर्पित अंचल अधिकारी, सोनाहातु द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र सं0-1774 दिनांक-07/11/12 एवं प्रखण्ड कार्यालय, सोनाहातु द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र सं0-108392 दिनांक-21/12/12 के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता गौरा महतो पिता-स्व0 मतिया महतो ग्राम-बलुवाडीह पोस्ट-जामुदाग थाना-सोनाहातु जिला-राँची को क्रेता श्री अनन्त महतो पति-श्री सुन्दरा महतो ग्राम-बलुवाडीह पोस्ट-जामुदाग/जाड़ेया थाना-सोनाहातु जिला-राँची के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(b)1 के तहत दी जाती है। आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नहीं करेंगे।

भूमि का वितरण

<u>मौजा</u>	<u>थाना नं0</u>	<u>खाता सं0</u>	<u>प्लॉट सं0</u>	<u>रकबा</u>
बलुवाडीह	36	18	753	0.16 ए0

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू राँची।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू राँची।